न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 20/2015
दायर दिनांक : 09/09/2015
निर्णय दिनांक : 23/12/2024

उनवान

1. बंशीलाल पिता भगवानलाल ढोली निवासी बूल का खेड़ा तहसील भूपालसागर
2. मोतीबाई पत्नी भगवानलाल ढोली निवासी बूल का खेड़ा तहसील भूपालसागर

अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्र पिता मांगीलाल रेगर निवासी बूल का खेड़ा तहसील भूपालसागर
2. शंकरलाल पिता गंगाराम रेगर निवासी बूल का खेड़ा तहसील भूपालसागर
3. तहसीलदार, भूपालसागर
4. ग्राम पंचायत, बूल पंचायत समिति, भूपालसागर

रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अंतर्गत धारा – 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री सुरेश बाफना, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

: : निर्णय : :

वकील अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 प्रस्तुत की, जिसका विवरण इस प्रकार है :

यह कि ग्राम बूल का खेड़ा पटवार हल्का बूल के हल्के बैरूनी में स्थित अपीलान्ट की खातेदारी आराजियात जिसके आराजी नंबर 1149 रकबा 0.18 है., आ.सं. 1150 रकबा 0.1319 है., आ.सं 1151 रकबा 0.01 है., आ.सं. 1152 रकबा 0.03 है., किता 4 रकबा 0.3519 है. स्थित है, जिस पर वर्तमान में हम अपीलान्ट कब्जे काश्त होकर हम अपीलान्ट के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजियात में से हम अपीलान्ट ने आ.सं. 1150 रकबा 0.1319 है. में से 0.0254 है. आबादी प्रयोजन हेतु आबादी परिवर्तन करा रखा है, जिस पर हम अपीलान्ट का [illegible] है। हम अपीलान्ट ने आ.सं. 1150 रकबा 0.1319 में से कृषि आराजियात का 104/0.1065 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को व 104/0.1065 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 2 को जरिये विक्रय बहनामा [illegible] विक्रय किया लेकिन अधीनस्थ ग्राम पंचायत व तहसील कर्मचारी ने कृषि आराजियात के बजाय हम अपीलान्ट के हक हिस्से की आबादी परिवर्तन भूमि के हक हिस्से पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का नाम अंकन कर दिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:24:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जो प्रथम दृष्टया ही गलत है। कानून भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत व अधीनस्थ कर्मचारियों को [आ]बादी भूमि में नामान्तरण खोलने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी इस प्रकार नामान्तरण खोला [ग]या जो निरस्त होने योग्य है, वजह सबूत बहनामा की फोटो प्रति साथ संलग्न है। अधीनस्थ ग्राम [पं]चायत बूल व पटवार हल्का ने बैगर बहनामा पढे बिना किसी जांच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 [से] मिलीभगत कर बिना किसी अधिकार के अपीलान्ट की आबादी रूपांतरित भूमि पर इन्तकाल [सं]ख्या 419 एवं 420 खोल कर उक्त आराजियात में अंकन कर दिया है जो गलत है और इस प्रकार ग्राम पंचायत का जो आदेश देने की भारी भूल की है क्योकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत को सभी तथ्यों की जांच कर इन्तकाल फैसला करना था लेकिन वास्तविकता इस प्रकार है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत व पटवार हल्का ने विक्रय बहनामा कृषि आराजियात के होने के बावजूद हम अपीलान्ट की आबादी रूपांतरित भूमि पर इन्तकाल खोल फैसल किया गया जबकि आबादी भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व व कब्जे की है परन्तु पटवार हल्का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारों से परे जाकर अवैधानिक तरीके से हम अपीलान्ट की आबादी भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का इन्तकाल खोल नाम दर्ज करने में भारी भूल की है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि उक्त आराजी नंबर 1150 का रूपांतरित हिस्सा 0.254 है. पर हम अपीलान्ट के आबादी का था, इसमें रामचन्द्र पिता मांगीलाल व शंकरलाल पिता गंगाराम जी का कोई हक हिस्सा नहीं था। हिस्सा नहीं होते हुऐ भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम नामान्तरण सं. 419 व 420 खोल कर नाम अंकन कर दिया जो गलत है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने दिनांक 26.05.2015 को उक्त आराजियात पर जबरन कब्जा कर, निर्माण कार्य कर रहे हैं तथा वर्णित आराजियात को बेचान करने की धमकी दी, जिससे अपीलान्ट ने दिनांक 19.06.2015 को नामान्तरण की नकल लेने से जानकारी हुई एवं अपील होने की कानूनी जानकारी लेकर बिना किसी देरी के अपील पेश है। हम अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जोकर नामान्तरण सं. 419 तारीख फैसल 21.03.2011 एवं नामान्तरण संख्या 420 तारीख फैसल 21.03.2011 ग्राम बूल का खेड़ा ग्राम पंचायत बूल तहसील भूपालसागर को निरस्त फरमाया जाकर उक्त आराजियात पुनः हम अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें। अपील स्वीकार क[illegible] को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि दौराने अपील [illegible] आराजियात किसी [illegible] को बह, बक्शीश, विक्रय, दान, वसीयत नहीं करें तथा रेस्पो. सं. 3 राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:24:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री सुरेश बाफना ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील रेस्पोडेन्ट को धारा 5 के जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 28.03.2024 को जवाब बंद किया गया तथा वकील उभयपक्ष की बहस दिनांक 24.06.2024 को सुनी जाकर धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकील अपीलान्ट ने आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो कि वकील उभयपक्ष की बहस के उपरांत दिनांक 27.11.2024 को स्वीकार किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 सी.पी.सी पेश किया जिसे बहस पश्चात दिनांक 11.12.2024 को अस्वीकार किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि रेस्पो. सं. 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड दो प्लाट का विक्रय पत्र निष्पादित करवाया जबकि आबादी भूमि का नामांतरण करने का अधिकार नहीं होने से अपील स्वीकार योग्य है। वकील रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि कयशुदा भूमि पर कब्जा हमारा होकर निर्माण है, सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से अपील पेश कर रखी है, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, दफा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट भूमि की किस्म तक स्वीकार कर नामान्तरण सं. 419 एवं 420 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, भूपालसागर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है भूमि को किस्म को दृष्टिगत रखते हुऐ विधिवत दोनों को पक्षों सुना जाकर नये सिरे से नियमानुसार इंतकाल खोला जाने की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:24:41 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर